

झारखण्ड सरकार,  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 09.05.2018

संख्या-1/विविध-817/2017 का० - 3062 / श्री फैज अक अहमद मुमताज, भा.प्र.से. (झा:2014), परिवहन आयुक्त, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 10.05.2018 से 01.06.2018 तक के उपार्जित अवकाश (Ex-India Leave) एवं इन्हें उक्त अवधि में निजी व्यय एवं निजी कारणों से नेपाल की यात्रा की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. श्री फैज अक अहमद मुमताज, भा.प्र.से. (झा:2014) के अवकाश अवधि तक के लिए श्री राहुल शर्मा, भा.प्र.से. (झा:1998), सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड) परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अरुण कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/विविध-817/2017 का.- 3062 / राँची, दिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि - नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

30.05.18  
सरकार के अवर सचिव।